

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या-30/2021 सी.आई.एस संख्या- 30/2021 गोपी उर्फ गोपीराम बनाम श्रीमती राजा 1</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
------------	---	--

12.09.2025	<p>वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. दिनांकित 22.04.2025 सुनी गई।</p> <p>दौराने बहस उभयपक्षकारो ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया है।</p> <p>हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 आपस में दादी-पोते है। प्रतिवादी संख्या 01 85 वर्षीय वृद्ध महिला है जो बैंकिंग संव्यवहार नही समझती है। हस्तगत प्रकरण में आय कृषि से अर्जित की गई है जो आयकर अधिनियम के दायरे से बाहर है। हस्तगत प्रकरण में धारा 269 ST आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। इस संबंध में इस न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में धारा 269 ST आयकर अधिनियम के प्रावधान लागू होते है अथवा नही यह बिन्दू इस न्यायालय द्वारा तय नही किया जाना है। इस संबंध में प्रतिवादिया संबंधित आयकर अधिकारी के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा विक्रय प्रलेख दिनांकित 08.03.2021 के माध्यम से कुल ग्यारह लाख पचास हजार रुपये राशि का नगद संव्यवहार किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5200/2025 (SLP(C) नम्बर 13679/2022) The Correspondence RBANMS Educational Institute vs B. Gunashekar & Another मे पारित निर्णय दिनांकित 16.04.2025 में आदेशित किया गया है कि 01.04.2017 के पश्चात यदि दो लाख रुपये या उससे अधिक का कुल नगद संव्यवहार किसी पक्षकार द्वारा किया गया है और इस संबंध में कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी सूचना क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर विभाग को प्रेषित की जावेगी। जिस पर संबंधित आयकर विभाग धारा 269 ST आयकर अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में विधि अनुसार कार्रवाई कर इस न्यायालय को सूचित करेगा।</p> <p>चूकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा जरिये इकरारनामा दो लाख रुपये से अधिक का नगद</p>	
------------	--	--

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या-30/2021 सी.आई.एस संख्या- 30/2021 गोपी उर्फ गोपीराम बनाम श्रीमती राजा 2</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
------------	---	--

	<p>संव्यवहार किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में यह न्यायालय प्रधान आयकर आयुक्त अजमेर को यह आदेशित करती है कि वह उक्त इकरारनामों में वर्णित दो लाख रुपये से अधिक के संव्यवहार के संबंध में धारा 269ST आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही कर एक माह में इस न्यायालय को सूचित करे। कार्यालय लिपिक को यह आदेशित किया जाता है कि वह इकरारनामों की एक प्रमाणित प्रति प्रधान आयकर आयुक्त अजमेर को इस आदेशिका की प्रमाणित प्रति के साथ पृथक से प्रेषित करे।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p>अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का जबाव पेश करने के लिए समय चाहा। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते जबाव/बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(संदीप आनन्द) अपर जिला न्यायाधीश सं.1, किशनगढ अजमेर</p>	
--	--	--

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-1, किशनगढ अजमेर(राज) दीवानी दावा संख्या-30/2021 सी.आई.एस संख्या- 30/2021 गोपी उर्फ गोपीराम बनाम श्रीमती राजा 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
------------	--	--

--	--	--